

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2081
जिसका उत्तर दिनांक 16.12.2021 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने में बाधाएं

2081 डा. फौजिया खान :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्ष 2017 से नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए खनित/संसाधित परमाणु खनिजों का स्थान-वार, राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में किसी कठिनाई/बाधा का सामना करना पड़ रहा है; और
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कारवाई की गई है/की जा रही है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

- (क) नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए खदान किए/संसाधित परमाणु खनिज का विवरण बताना सार्वजनिक हित में नहीं है क्योंकि ये वर्गीकृत सूचना है ।
- (ख) नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सामना की जा रही मुख्य चुनौतियों/कठिनाइयों में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (नए स्थलों पर), सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा क्रांतिक उपकरण की सुपुर्दगी में विलंब आदि शामिल हैं ।
- (ग) पूर्व-परियोजना गतिविधियां पर्याप्त समय पहले आरम्भ की जाती हैं ताकि निर्माण के आरम्भ होने से पहले इनका पूर्ण किया जाना सुनिश्चित हो सके । उपकरण आपूर्ति के संबंध में नियमित मॉनीटरन और आपूर्तिकर्ताओं के साथ चर्चाएं की जाती हैं ताकि समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित हो सके । परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन गठित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) उनके तकनीकी/वित्तीय मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान कर सहायता भी कर रहा है ।

* * * * *